

प्रारंभिक परीक्षा

छठी अनुसूची(Sixth Schedule)

संदर्भ

सोनम वांगचुक और अन्य नेता लद्दाख को राज्य का दर्जा देने तथा संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर कारगिल में भूख हड़ताल में शामिल हुए।

छठी अनुसूची के प्रावधान -

- अनुच्छेद-244(2): असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होता है।
- स्वायत्त जिले एवं क्षेत्र:
 - जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में नामित किया गया है।
 - यदि किसी जिले में कई अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, तो राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्र बना सकते हैं।
 - राज्यपाल जिलों को संगठित, पुनर्गठित, सीमाओं में परिवर्तन या नाम बदल सकते हैं।
- जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषद:
 - जिला परिषद: अधिकतम 30 सदस्य (4 राज्यपाल द्वारा नामित, शेष वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित)।
 - क्षेत्रीय परिषद: प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र के लिए।
- कानून बनाने की शक्तियाँ:
 - भूमि, वन (आरक्षित को छोड़कर), संपत्ति उत्तराधिकार, धन उधार, गैर-आदिवासियों द्वारा व्यापार पर कानून बना सकते हैं।
 - सभी कानूनों को राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
- न्यायिक शक्तियाँ:
 - ग्राम एवं जिला परिषद न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं जहां सभी पक्ष अनुसूचित जनजाति के हों।
 - मृत्युदंड या 5+ वर्ष के कारावास की सजा वाले मामलों की सुनवाई नहीं की जा सकती।
- राजस्व एवं कराधान:
 - भूमि राजस्व का आकलन कर सकते हैं, व्यापार, पशुओं, वाहनों आदि पर कर लगा सकते हैं।
 - खनन लाइसेंस और पट्टे प्रदान कर सकते हैं।
- विकास शक्तियाँ:
 - स्कूलों, औषधालयों, बाजारों, मत्स्य पालन, सड़कों, परिवहन और जलमार्गों का प्रबंधन कर सकते हैं।
- कानूनों की प्रयोज्यता:
 - संसदीय/राज्य कानून संशोधनों या अपवादों के साथ लागू होते हैं।
- राज्यपाल की निगरानी:
 - जिला/क्षेत्र प्रशासन की समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है।

छठी अनुसूची के लाभ -

- जनजातीय अधिकारों और पहचान का संरक्षण:
 - जनजातीय समुदायों की भूमि, संस्कृति और परंपराओं को बाहरी शोषण से सुरक्षित रखना।
- स्थानीय स्वशासन:
 - स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों को स्थानीय मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि शासन समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
- सांस्कृतिक संरक्षण:

- स्थानीय निर्णय लेने के माध्यम से स्वदेशी भाषाओं, रीति-रिवाजों और त्योहारों को संरक्षित करने में मदद करता है।
- **प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण:**
 - जनजातीय परिषदों को भूमि उपयोग, वनों और खनिजों को विनियमित करने, सतत उपयोग सुनिश्चित करने और बाहरी शोषण को रोकने की अनुमति देता है।
- **न्यायिक स्वायत्तता:**
 - जनजातीय विवादों के लिए विशेष न्यायालय सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त न्याय प्रणाली प्रदान करते हैं।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:**
 - परिषदें कर लगा सकती हैं, बाजारों का प्रबंधन कर सकती हैं, तथा संसाधन निष्कर्षण के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकती हैं, जिससे स्थानीय राजस्व उत्पन्न होगा।
- **शिक्षा एवं अवसंरचना विकास:**
 - स्कूल, औषधालय, मत्स्य पालन, सड़क और परिवहन प्रणाली स्थापित करने की शक्तियां लक्षित विकास को सक्षम बनाती हैं।
- **प्रशासनिक लचीलापन:**
 - कठोर राज्यव्यापी नीतियों के बजाय स्थानीय रीति-रिवाजों और आवश्यकताओं के अनुसार कानूनों और शासन संरचनाओं को अनुकूलित करने की क्षमता।
- **संघर्ष निवारण:**
 - स्थानीय निकायों को निर्णय लेने की शक्ति देने से राज्य और जनजातीय समुदायों के बीच तनाव कम होता है।
- **पर्यावरण संरक्षण:**
 - वनों और संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण, पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप पारिस्थितिक संरक्षण को बढ़ावा देता है।

लद्दाख में हालिया मांग -

- लद्दाख की 97% जनजातीय आबादी छठी अनुसूची में शामिल होने के मानदंडों को पूरा करती है।
- तीव्र विकास परियोजनाएं (भूतापीय, जल विद्युत, हाइड्रोजन संयंत्र) लद्दाख के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा हैं।
- पर्यावरण और जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए समावेशन की मांग की गई।

स्रोत: [द हिंदू](#)

रासायनिक रूप से दूषित स्थलों पर नए नियम क्या हैं?

संदर्भ

पर्यावरण मंत्रालय ने खतरनाक रसायनों और अपशिष्टों से दूषित स्थलों का कानूनी रूप से समाधान करने के लिए पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है।

नियमों के बारे में -

- **परिभाषा:** दूषित स्थल(Contaminated sites) वे क्षेत्र हैं जहां खतरनाक अपशिष्ट डंपिंग के कारण मिट्टी, जल और वायु प्रदूषित हो गए हैं, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी जोखिम उत्पन्न हो गए हैं।
- **वर्तमान स्थिति:** 103 दूषित स्थलों की पहचान की गई है; केवल 7 पर सक्रिय सुधार कार्य चल रहा है।
- **उत्पत्ति:** औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रदूषित स्थलों के उपचार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2010 पर आधारित।
- **उद्देश्य:**
 - संभावित दूषित स्थलों की सूची तैयार करना।
 - मूल्यांकन और सुधार के लिए दिशानिर्देश विकसित करना।
 - सफाई के लिए कानूनी, संस्थागत और वित्तीय ढाँचे स्थापित करना।
- **नये नियमों के तहत प्रक्रिया:**
 - जिले संदिग्ध स्थलों पर अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
 - राज्य बोर्ड/संदर्भ संगठन संदूषण का आकलन और घोषणा करते हैं।
 - जिम्मेदार प्रदूषक उपचार लागत वहन करते हैं; अन्यथा, केंद्र और राज्य सफाई की व्यवस्था करते हैं।
 - यदि संदूषण सुरक्षित सीमा से अधिक हो तो सार्वजनिक प्रकटीकरण।
- **जवाबदेही:** यदि संदूषण से नुकसान होता है तो भारतीय न्याय संहिता (2023) के तहत आपराधिक दायित्व लागू होता है।
- **छूट:** रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट, समुद्री तेल संदूषण, तथा अन्य कानूनों के तहत निपटाए गए डंप-साइट ठोस अपशिष्ट।
- **अंतराल:** पहचान के बाद सफाई कार्य पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं।

स्रोत: [द हिंदू](#)

सीआरपीसी की धारा 436-A

संदर्भ

दिल्ली की अदालत ने सीआरपीसी की धारा 436-A के तहत क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की रिहाई की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अतिरिक्त आरोपों के कारण वह अयोग्य है, जिनमें अधिकतम सजा का प्रावधान है।

सीआरपीसी की धारा 436-A

- **परिचय:**
 - 2005 के संशोधन के माध्यम से सीआरपीसी, 1973 में जोड़ी गई।
- **मुख्य प्रावधान:**
 - यदि किसी विचाराधीन कैदी ने निर्धारित अधिकतम सजा की आधी अवधि हिरासत में बिता ली है तो उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
- **दायरा:**
 - यह किसी भी कानून के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर लागू होता है, सिवाय उन अपराधों के जिनमें संभावित दंड के रूप में मृत्युदंड दिया जा सकता है।
- **रिहाई की शर्तें:**
 - विचाराधीन कैदी को अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की आधी अवधि के लिए जाँच, पूछताछ या मुकदमे के दौरान हिरासत में रखा गया हो।
 - रिहाई व्यक्तिगत मुचलके (personal bond) पर, जमानत के साथ या उसके बिना, दी जाती है।
- **न्यायालय का विवेकाधिकार:**
 - सरकारी वकील की सुनवाई और लिखित में कारण दर्ज करने के बाद, न्यायालय निम्न कार्य कर सकता है:
 - आधी अवधि के बाद भी हिरासत जारी रख सकता है, या
 - व्यक्ति को व्यक्तिगत मुचलके के बजाय जमानत पर रिहा कर सकता है।
- **अधिकतम सीमा:**
 - उस अपराध के लिए अधिकतम सजा अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
- **गणना में अपवर्जन:**
 - अभियुक्त के स्वयं के कार्यों के कारण हिरासत में हुई किसी भी देरी को अर्ध-अवधि की गणना से बाहर रखा जाता है।
- **विशेष कानूनों पर प्रयोज्यता:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि धारा 436-A विशेष अधिनियमों पर भी लागू होती है, जब तक कि विशेष कानून में उसे अधिरोहित करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान न हो।

स्रोत: [इंडियनएक्सप्रेस](#)

पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला

संदर्भ

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने **NIAB हैदराबाद में एक नए अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया**, साथ ही पशुधन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और भारत की "सदाबहार क्रांति(Evergreen Revolution)" का समर्थन करने के लिए पांच अभूतपूर्व पशु चिकित्सा निदान उपकरणों का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु -

- अपनी तरह की पहली सुविधा:
 - राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NIAB), हैदराबाद में पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया।
 - लागत: ₹1.85 करोड़; 9,300 वर्ग फुट क्षेत्रफल।
 - स्टेम सेल कल्चर यूनिट, 3D बायोप्रिंटर, बैक्टीरियल कल्चर लैब, क्रायोस्टोरेज, उन्नत एयर हैंडलिंग सिस्टम और निर्बाध बिजली से सुसज्जित।
- सहायक बुनियादी ढांचा:
 - 19.98 करोड़ रुपये की लागत से अनुसंधान विद्वानों, संकाय और कर्मचारियों के लिए एक नए छात्रावास ब्लॉक और टाइप-IV कार्टरों की आधारशिला रखी गई।
- पशु चिकित्सा नवाचारों का शुभारंभ: 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए, पांच नैदानिक उपकरणों का अनावरण किया गया:
 - ब्रुसेल्लोसिस के लिए त्वरित जांच किट (क्षेत्र-तैनाती योग्य, DIVA-सक्षम)
 - स्तनदाह जांच परीक्षण (लागत प्रभावी, ऑन-साइट)
 - रोगाणुरोधी संवेदनशीलता परीक्षण उपकरण (2 घंटे में परिणाम)
 - टोक्सोप्लाज़्मोसिस डिटेक्शन किट
 - जापानी एन्सेफलाइटिस डिटेक्शन स्ट्रिप (बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए)
- नीति और विजन:
 - प्रधानमंत्री मोदी की जैव प्रौद्योगिकी BioE3 नीति पर प्रकाश डालता है, जो भारत को जैव प्रौद्योगिकी नवाचार में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करती है।
 - DBT-BIRAC के अंतर्गत राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (NBM) द्वारा समर्थित सुविधा विस्तार।
 - ग्रामीण समृद्धि, पशुधन उत्पादकता और एक "सदाबहार क्रांति" के लिए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानता है।



स्टेम सेल(Stem Cells) के बारे में -

- परिभाषा और क्षमता
 - ऐसी कोशिकाएँ जिनमें शरीर की कई प्रकार की विभिन्न कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है।
 - इनको स्टेम कोशिका या मूल कोशिका भी कहा जाता है।
 - उपयुक्त परिस्थितियों (शरीर में या प्रयोगशाला में) में, ये विभाजित होकर पुत्री कोशिकाएँ(daughter cells) बनाती हैं।
- पुत्री कोशिकाओं के कार्य
 - या तो स्टेम कोशिकाओं के रूप में बनी रहती हैं।

- या रूपांतरित(अंतरित) होकर रक्त कोशिकाओं, मस्तिष्क कोशिकाओं, हृदय की पेशी कोशिकाओं या अस्थि कोशिकाओं जैसी विशिष्ट कोशिकाओं में बदल जाती हैं।
- **अद्वितीय गुण**
 - शरीर में कोई भी अन्य कोशिका का प्रकार स्वाभाविक रूप से नई कोशिका का प्रकार उत्पन्न नहीं कर सकता।
- **शरीर में भूमिका**
 - क्षतिग्रस्त या खोई हुई कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करते हुए, मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करना।
- **शरीर में स्थान**
 - यह मस्तिष्क, अस्थि मज्जा, रक्त और रक्त वाहिकाओं जैसे विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है।

स्टेम सेल के प्रकार -

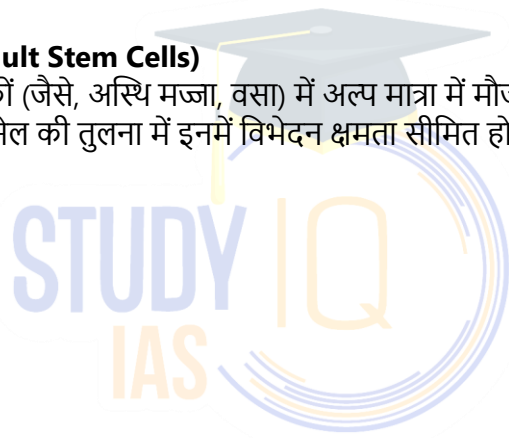
1. भ्रूण स्टेम सेल(Embryonic Stem Cells)

- 3-5 दिन पुराने भ्रूण से प्राप्त की जाती हैं।
- इस अवस्था में भ्रूण (ब्लास्टोसिस्ट) में लगभग 150 कोशिकाएँ होती हैं।
- बहु-शक्तियुक्त (Pluripotent) – शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित हो सकती हैं।
- अपनी बहुमुखी क्षमता के कारण क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों के पुनर्निर्माण या मरम्मत में उपयोगी।

2. वयस्क स्टेम सेल(Adult Stem Cells)

- वयस्क ऊतकों (जैसे, अस्थि मज्जा, वसा) में अल्प मात्रा में मौजूद।
- भ्रूणीय स्टेम सेल की तुलना में इनमें विभेदन क्षमता सीमित होती है।

स्रोत: [पीआईबी](#)



स्लॉथ बीयर(Sloth Bear)

संदर्भ

तमिलनाडु में पुलियानचोलाई इको-पर्यटन स्थल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, क्योंकि एक स्लॉथ बीयर इस क्षेत्र में घुस आया, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो गईं और पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई।

स्लॉथ बीयर के बारे में -

- **वैश्विक उपस्थिति:** दुनिया भर में पाई जाने वाली आठ भालू प्रजातियों में से एक।
- **आहार:** मायर्मैकोफैगस - मुख्य रूप से चींटियाँ, दीमक और अन्य कीड़े खाते हैं।
- **निवास स्थान:** शुष्क और नम वनों के साथ-साथ ऊँचे घास के मैदानों पर निवास करते हैं, तथा अक्सर आश्रय के लिए पत्थरों, झाड़ियों और पेड़ों का उपयोग करते हैं।
- **भौगोलिक विस्तार:** मुख्यतः भारत, नेपाल, श्रीलंका और संभवतः भूटान में पाया जाता है।
- **शारीरिक लक्षण:**
 - लंबा, झबरा गहरा भूरा या काला फर।
 - लंबे, घुमावदार पंजे - भालू प्रजातियों में सबसे लंबे।
- **व्यवहार:** अधिकतर रात्रिचर - रात में भोजन की तलाश करते हैं, दिन में एकांत क्षेत्रों में आराम करते हैं।
- **भारत में प्रमुख अभयारण्य:**
 - दारोजी स्लॉथ बीयर अभयारण्य (कर्नाटक)।
 - जेसोर स्लॉथ बीयर अभयारण्य (गुजरात)।
- **संरक्षण की स्थिति:**
 - **IUCN रेड लिस्ट:** असुरक्षित (Vulnerable)
 - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची II
 - **CITES:** परिशिष्ट II



स्रोत: [द हिंदू](#)

GPc

संदर्भ

GPc एक नया अणु है जिसे IISc के वैज्ञानिकों ने सुरक्षित और सस्ते तरीके से ट्यूमर का पता लगाने में मदद के लिए बनाया है।

GPc क्या है?

- यह जिंक-फ्थालोसाइनिन (zinc-phthalocyanine) से बना है, जो निकट-अवरक्त (near-infrared) प्रकाश के साथ अच्छी तरह काम करता है।
- इसमें चार ग्लूकोज़ इकाइयाँ जुड़ी होती हैं, जिससे यह पानी में घुलनशील हो जाता है और आसानी से ट्यूमर तक पहुँच जाता है (क्योंकि ट्यूमर को शक्कर पसंद होती है)।
- यह फोटोअकॉस्टिक इमेजिंग (Photoacoustic Imaging) तकनीक के साथ काम करता है – जो विकिरण के बजाय प्रकाश और ध्वनि का उपयोग करके ट्यूमर की विस्तृत 3D तस्वीरें बनाती है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- कोई विकिरण जोखिम नहीं – पोज़िट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी (PET) स्कैन के विपरीत, यह बार-बार उपयोग के लिए अधिक सुरक्षित है।
- सस्ता – PET या MRI स्कैन की तुलना में कहीं अधिक किफ़ायती हो सकता है, जिससे कम आय वाले क्षेत्रों के मरीजों को लाभ मिलेगा।
- कुछ खास कैंसर के लिए बेहतर – त्वचा के पास स्थित ट्यूमर, जैसे स्तन या लसीका ग्रंथियों (lymph nodes) में, के लिए विशेष रूप से अच्छा काम करता है।
- PET का संभावित विकल्प – भविष्य में कई मरीजों के लिए PET स्कैन को बदल सकता है।

स्रोत: [साउथ फ़र्स्ट](#)

समाचार संक्षेप में

→ हाल ही में खबरों में रही **मायरा(Myra)**, मेकमायट्रिप द्वारा लांच की गई एक **एआई-सक्षम वर्चुअल एजेंट** है।

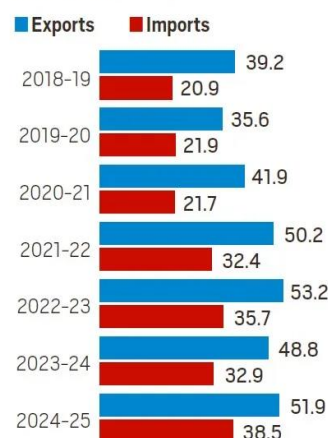
→ 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार, **भारत की एशियाई शेर आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है, जो 32.2% की वृद्धि है।**

INDIA'S TOP AGRICULTURAL EXPORT ITEMS (in million dollars)

	2024-25	Apr-Jun 2024	Apr-Jun 2025	% Growth
Marine products	7405.00	1628.87	1945.70	19.45
Basmati rice	5944.48	1544.92	1494.40	-3.27
Non-Basmati rice	6527.58	1263.34	1413.02	11.85
Spices	4451.54	1088.89	1154.04	5.98
Buffalo meat	4060.54	793.28	896.82	13.05
Coffee	1805.57	519.80	588.07	13.14
Fruits & vegetables	2065.39	459.14	522.44	13.79
Tobacco	1979.01	426.86	509.19	19.29
Processed F&V	1805.76	384.37	429.80	11.82
Castor oil	1152.37	348.34	355.31	2.03
Oilseeds	1344.31	332.22	306.01	-7.89
Oilmeals	1344.39	330.69	290.19	-12.25
TOTAL	51940.67	12209.66	12922.32	5.84

Source: Department of Commerce

INDIA'S AGRICULTURE TRADE (in billion dollars)



संपादकीय सारांश

शहरी गरीबों को निशाना बनाकर राज्य-संचालित भय

संदर्भ

सबसे गरीब लोग - विशेष रूप से भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक (जैसे, गुरुग्राम में बंगाली भाषी प्रवासी) राज्य की मनमानी कार्रवाइयों और लक्षित दमन के कारण डर के कारण अपने मूल गांवों को लौट रहे हैं।

क्या कार्यवाही की गई है?

- जानबूझकर "विदेशियों" का डर पैदा करना - यह दर्शाना कि शहरी गरीबों का एक वर्ग (विशेषकर बंगाली बोलने वाले प्रवासी) बाहरी या अवैध अप्रवासी हैं।
- यह संदेह फैलाना कि ये समूह अपराध या सुरक्षा खतरों से जुड़े हैं, जिससे अविश्वास का माहौल बनता है।
- ऐसी अफवाहें सीधे तौर पर औपचारिक सरकारी बयानों के रूप में नहीं आ सकतीं, बल्कि स्थानीय प्रवर्तन कार्रवाइयों, सार्वजनिक घोषणाओं या चुनिंदा लोगों को निशाना बनाकर फैलाई जा सकती हैं, जिससे अपराधबोध का आभास होता है।
- स्पष्ट कानूनी आधार के बिना पूछताछ के लिए व्यक्तियों को उठाना - विशिष्ट भाषाई या धार्मिक समूहों को निशाना बनाना।
- प्रवासी-बहुल इलाकों में चुनिंदा छापे।
- पहचान जाँच के दौरान उत्पीड़न, भले ही कानूनी दस्तावेज़ सही हों।
- सेवाकर्मियों को कुछ क्षेत्रों को छोड़ने के लिए मजबूर करना या उनके लिए आवास किराए पर लेना कठिन बनाना।
- राज्य निकाय ऐसे तरीके से काम करते हैं जो सुसंगत नियमों का पालन नहीं करते, जिससे लोग इस बारे में अनिश्चित रहते हैं कि पुलिस या प्रशासनिक कार्रवाई किस पर हो सकती है।

नतीजे -

- **शहरी गरीबों का विस्थापन:** प्रवासी, शहर में आजीविका होने के बावजूद, हिरासत या उत्पीड़न के डर से अपने मूल गांवों में लौट जाते हैं।
 - इससे बड़े पैमाने पर आजीविका बाधित होती है और शहर में बने सामाजिक नेटवर्क टूटते हैं।
- **शहरों के सामाजिक ताने-बाने का कमजोर होना:** विचारों और अनुभवों की विविधता का खत्म होना, जो शहरों को जीवंत और नवीन बनाते हैं।
 - सेवा क्षेत्र - सफाई, निर्माण, घरेलू कार्य - अपने कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं, जिससे शहर का कामकाज प्रभावित होता है।
- **राज्य में विश्वास का क्षरण:** राज्य का अनुभव संवैधानिक आदर्शों के माध्यम से नहीं, बल्कि भय के माध्यम से होता है।
 - जिन लोगों को निशाना बनाया जाता है, वे प्रायः राज्य के सबसे मजबूत समर्थक होते हैं, जबकि राज्य पर अविश्वास करने वाले अभिजात वर्ग अप्रभावित रहते हैं।
 - इससे लोकतंत्र में राज्य की वैधता कमजोर होती है।
- **शहरी डिस्टोपिया का निर्माण:** शहरों के अलग-थलग, संदिग्ध और अन्यायपूर्ण स्थान बनने का खतरा है।
 - सहायक आबादी के विस्थापन से अनियंत्रित निजी पूंजी के लिए जगह बनती है, तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक स्थानों जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक हस्तक्षेप कमजोर होता है।
- **मनमानी की खतरनाक मिसाल:** जब राज्य एक वर्ग के खिलाफ मनमाने ढंग से काम करता है, तो वह दूसरों के खिलाफ मनमानी कार्रवाई के लिए एक मिसाल कायम करता है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

भारत में मानव तस्करी के उन्मूलन की दिशा में प्रयास

संदर्भ

पश्चिम बंगाल में मानव तस्करी के दो बड़े प्रयासों को नाकाम किया गया है, जो इस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि चल रहे प्रयासों के बावजूद यह घिनौना अपराध भारत में अब भी फल-फूल रहा है।

तस्करी के आंकड़े (2018-2022) लगातार प्रचलन दर्शाते हैं:

- **2018:** 2,278 मामले
- **2019:** 2,208
- **2020:** 1,714 (कोविड में गिरावट)
- **2021:** 2,189
- **2022:** 2,250

मानव तस्करी के मूल कारण -

- **गरीबी और बेरोजगारी:** व्यापक आर्थिक अभाव और स्थानीय रोजगार के अवसरों की कमी।
 - उदाहरण के लिए, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और डुआर्स में चाय बागानों के बंद होने से स्थानीय लोगों की आय समाप्त हो गई है।
- **भ्रामक भर्ती प्रथाएँ:** परिधान कारखानों, घरेलू काम या स्वर्ण निर्माण इकाइयों में आकर्षक नौकरियों का लालच।
 - बेहतर जीवन स्थितियों के झूठे वादे।
- **भौगोलिक स्थिति और सीमा की संवेदनशीलता:** छिद्रपूर्ण सीमाएं और कमजोर निगरानी के परिणामस्वरूप सीमा पार तस्करी होती है।
 - उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल की नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से निकटता सीमा पार तस्करी को सुगम बनाती है।
- **कमजोर कानून प्रवर्तन और डेटा छिपाना:** भय, सामाजिक कलंक और प्रशासनिक अस्पष्टता के कारण मामलों की कम रिपोर्टिंग।
 - तस्कर पकड़े जाने से बचने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं।
- **सामाजिक एवं लैंगिक कमजोरियाँ:** हाशिए पर स्थित समुदायों की महिलाओं और बच्चों को असमान रूप से निशाना बनाया जाता है।
 - पितृसत्तात्मक मानदंड और शिक्षा का अभाव जोखिम को बढ़ाता है।
- **आपदा और महामारी प्रभाव:** कोविड-19 ने आजीविका को कम कर दिया, जोखिम भरे प्रवास प्रस्तावों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा दिया।
 - इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं समुदायों को विस्थापित करती हैं, जिससे नई असुरक्षाएं पैदा होती हैं।

मानव तस्करी के परिणाम -

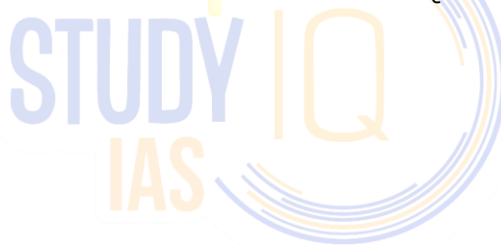
- **स्वतंत्रता की हानि और शोषण:** पीड़ितों को बंधुआ मजदूरी, यौन कार्य या खतरनाक उद्योगों में धकेला जाता है।
 - वेतन, कानूनी अधिकार और सम्मान से वंचित करना।
- **शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य क्षति:** हिंसा, दुर्व्यवहार, कुपोषण और स्वास्थ्य देखभाल की कमी।
 - दीर्घकालिक आघात और मानसिक स्वास्थ्य विकार।
- **परिवारों और समुदायों का विघटन:** जबरदस्ती के तहत प्रवासन से पारिवारिक संरचना बाधित होती है।
 - कामकाजी आयु वर्ग के सदस्यों की कमी से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है।
- **आपराधिक नेटवर्क का विस्तार:** तस्करी से होने वाला लाभ संगठित अपराध को वित्तपोषित करता है।

- स्थानीय प्रवर्तन और सीमा अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार बढ़ता है।
- **राज्य की वैधता को कमजोर करना:** खराब शासन और कमजोर पीड़ित संरक्षण प्रशासन में विश्वास को खत्म कर देते हैं।
- **अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव:** पीड़ितों के बच्चे प्रायः गरीबी में बड़े होते हैं, तथा यह चक्र दोहराता रहता है।

आगे की राह -

- **आर्थिक जड़ों पर ध्यान देना:** कृषि प्रसंस्करण, पर्यटन और हस्तशिल्प में स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
 - संवेदनशील जिलों के लिए आजीविका योजनाएं शुरू करना।
- **कानून प्रवर्तन और डेटा पारदर्शिता को मजबूत करना:** स्वतंत्र ऑडिट के साथ अपराध डेटा प्रकटीकरण अनिवार्य करना।
 - विशेष तस्करी विरोधी इकाइयों को पीड़ित-संवेदनशील दृष्टिकोण में प्रशिक्षित करना।
- **सीमा एवं प्लेसमेंट एजेंसी विनियमन:** भर्ती एजेंसियों की निगरानी और लाइसेंसिंग।
 - प्रौद्योगिकी और सामुदायिक गश्त के साथ सीमा निगरानी को बढ़ाना।
- **समुदाय-आधारित रोकथाम:** संवेदनशीलता अभियान के लिए स्थानीय युवा क्लबों, स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों को सशक्त बनाना।
- **पीड़ित पुनर्वास एवं संरक्षण:** सुरक्षित आवास, कानूनी सहायता, परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - पुनः तस्करी को रोकने के लिए बचाए गए पीड़ितों के लिए पुनः एकीकरण सहायता सुनिश्चित करना।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** परिवहन केंद्रों में जीपीएस ट्रैकिंग, डिजिटल आईडी सत्यापन और एआई-आधारित अलर्ट तैनात करना।
 - गुमशुदा व्यक्तियों और तस्करी के पैटर्न का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाए रखना।

स्रोत: [न्यू इंडियन एक्सप्रेस](#)



चीन द्वारा 300 चीनी नियोक्ताओं को वापस बुलाना: भारत पर प्रभाव

संदर्भ

हाल ही में चीन ने भारत में फॉक्सकॉन के आईफोन निर्माण से 300 कुशल इंजीनियरों को वापस बुला लिया तथा दुर्लभ मृदा, उपकरण और कुशल प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया।

300 इंजीनियरों को वापस बुलाने के पीछे संभावित कारण -

- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में कटौती:** भारतीय विनिर्माण इकाइयों को - विशेष रूप से आईफोन जैसे उच्च मूल्य वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में - इन इंजीनियरों के पास मौजूद विशेष ज्ञान (उत्पादन लाइन सेटअप, अनुकूलन, समस्या निवारण) प्राप्त करने से रोकना।
- **भारत के विनिर्माण क्षेत्र में तेजी को धीमा करना:** प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को धीमा करना।
- **आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता बनाए रखना:** सुनिश्चित करना कि भारत चीनी इनपुट, उपकरण और दुर्लभ मृदा सामग्रियों पर निर्भर बना रहे।
- **चीनी आर्थिक प्रभुत्व को बनाए रखना:** एशिया के विनिर्माण और निर्यात बाजारों में बीजिंग की प्रमुख स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए संभावित प्रतिस्पर्धियों को रोकना।
- **घरेलू आर्थिक दबावों का लाभ उठाना:** चीन की धीमी होती अर्थव्यवस्था, बढ़ती उम्र की आबादी और अत्यधिक क्षमता के कारण निर्यात राजस्व की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। उभरते प्रतिद्वंद्वियों को बेअसर करना उसकी अस्तित्व की रणनीति का हिस्सा है।

भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है?

- **अल्पकालिक परिचालन व्यवधान:** कुशल इंजीनियरों की कमी से उत्पादन में वृद्धि धीमी हो जाएगी, परियोजनाओं में देरी होगी, तथा विदेशी (अक्सर चीनी) तकनीकी सहायता पर निर्भरता बढ़ जाएगी।
- **उच्च लागत और धीमी वृद्धि:** इनपुट और उपकरणों के लिए वैकल्पिक स्रोत अधिक महंगे और कम कुशल हैं, जिससे भारतीय फर्मों के लिए पूंजीगत व्यय/संचालन व्यय में वृद्धि हो रही है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में हिचकिचाहट:** अस्थिरता और अकुशलता के डर से कंपनियां चीन से भारत में उत्पादन स्थानांतरित करने में हिचकिचा सकती हैं।
- **लगातार व्यापार असंतुलन:** इलेक्ट्रॉनिक्स आयात (चीन से 42%) और इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा सुधरने से पहले और बिगड़ सकता है।
- **लंबी डिकप्लिंग समय-सीमा:** इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में आक्रामक नीति समर्थन के बावजूद 5-7 वर्ष लग सकते हैं।

भारत क्या कर सकता है -

- **उच्च स्तरीय समन्वय:** मंत्रालयों में आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों से निपटने और उद्योग के साथ निकट परामर्श के लिए पीएमओ के नेतृत्व में एक अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स (2019 पीएलआई समिति के समान) का गठन करना।
- **आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाना:** महत्वपूर्ण खनिजों, घटकों और विनिर्माण उपकरणों के लिए ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी बनाना।
- **घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना:** केवल असेंबली ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और घटक विनिर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश करना।
- **पीएलआई और संबद्ध नीतियों में तेजी लाना:** स्मार्टफोन से आगे बढ़कर सेमीकंडक्टर, घटकों और उच्च तकनीक विनिर्माण तक उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों का विस्तार करना।
- **रणनीतिक भंडारण:** आपूर्ति में व्यवधान का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट (दुर्लभ मृदा, प्रमुख घटक) का भंडार बनाए रखना।

- **वैश्विक गठबंधन:** उच्च तकनीक इनपुट के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए क्वाड, इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) और अन्य समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ काम करना।
- **व्यापार संबंधी बाधाओं को कम करना:** नौकरशाही संबंधी देरी को कम करना, लॉजिस्टिक्स में सुधार करना, तथा लागत में "उच्चतर अक्षमताओं" को दूर करना, ताकि भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

स्रोत: [द हिंदू](#)

